न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/228)

1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री भंवरिया, जाति जाट, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. मोठू पुत्र श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 दौलत पुत्र श्री मोठू जाति जाट, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
   1/2 श्रीमती कमला पुत्री श्री मोठू पत्नी श्री कल्याण जाति जाट, निवासी सामलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
   1/3 श्रीमती गोरा पुत्री श्री मोठू पत्नी श्री हरि जाति जाट निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।
2. मोती पुत्र श्री भैरू जाति जाट, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
3. लादू पुत्र श्री बोदू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/1 किशना पुत्र लादू
   3/2 करणा पुत्र लादू
   3/3 रामधन पुत्र लादू
   3/4 हीरा पुत्र लादू
   3/5 भोलू पुत्र लादू
   3/6 बिरदा पुत्र लादू
   समस्त जाति जाट, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
   3/7 धन्नी पुत्री लादू पत्नी श्री बिरदाराम, जाति जाट निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।
   3/8 श्रीमती लाडा पुत्री श्री लादू जाति जाट, निवासी साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
4. जयपुर थार ग्रामीण बैंक साखून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
5. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2012 राजस्व वाद संख्या 49/2011.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बकुल कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3/1 से 3/8 व 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—24.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी मोठू पुत्र श्री भैरू जिसके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने अपीलांट के पति श्री भंवरिया पुत्र श्री भैरू एवं वर्तमान रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध उदघोषणा खातेदारी, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष राजस्व वाद संख्या 49/2011 दिनांक 17.02.2011 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 यथा अपीलांट के पति एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से दिनांक 15.06.2011 को उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 15.6.2011 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद पत्र दिनांक 20.07.2011 को प्राथमिक रूप से डिक्री फरमा दिया गया तत्पश्चात दिनांक 02.07.2012 को अंतिम आज्ञप्ति जारी फरमा दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2, 3/1 से 3/8 व 4 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीया अपने पति द्वारा क्रय की गई आराजीयात पर कुल आराजीयात के 1/3 हिस्से अनुसार श्री मोती पुत्र श्री भैरू तथा मृतक श्री लादू पुत्र बोदू के वारिसान के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है एवं अंतिम डिक्री दिनांक 2.7.2012 की आज दिनांक कोई पालना नहीं हुई है तथा प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रार्थीया को उक्त निर्णय व डिक्री तथा रिकार्ड में परिवर्तन नहीं होने के कारण कोई जानकारी नहीं हुई लेकिन दिनांक 5.7.2023 को हल्का पटवारी जी ने बताया कि सन् 2011—12 में विवादित भूमि बाबत् मोटू पुत्र श्री भैरू के हक में डिक्री जारी हुई है जिसकी मोटू का पुत्र दौलत अब पालना करवा रहा है तब प्रार्थीया द्वारा मोती पुत्र श्री भैरू को इस बाबत् अवगत करवाया गया जिन्होंने दूदू जाकर अभिभाषक से सम्पर्क किया एवं दिनांक 7.7.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए जिस पर दिनांक 10.7.2023 को नकलें प्राप्त हुई तत्पश्चात अभिभाषक से कानूनी राय लेकर एवं आवश्यक खर्चे का बन्दोबस्त कर दिनांक 12.7.2023 को अजमेर आकर अभिभाषक से मिली जिन्होंने उसी दिन अपील तैयार करवाई एवं आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीया विधवा स्त्री है जिसे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं पति का भी स्वर्गवास हो चुका है जिससे जानकारी नहीं हो पाई अतः विधवा स्त्री की भूमि को धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित है जिससे मुझ विधवा स्त्री को न्याय प्राप्त हो सके। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी की ओर से दिनांक 22.6.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीया संख्या 11 श्रीमती पांची पत्नी श्री लादू की मृत्यु वाद प्रस्तुती से पूर्व ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र ही मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो प्रथम दृष्टया ही संधारण योग्य नहीं था जिससे उसका नाम विलोपित करने के बजाय उक्त वाद पत्र को निरस्त फरमा कर नया वाद प्रस्तुती की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायोचित है एवं उक्त वाद प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था। स्वयं वादी द्वारा स्वीकार किया गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1959 के तहत वादग्रस्त आराजीयात का 2/3 हिस्सा भंवरिया एवं मोती पुत्रान श्री भैरू एवं 1/3 हिस्सा लादू पुत्र बोदू द्वारा क्रय किया गया अर्थात वादी मोटू पुत्र श्री भैरू द्वारा कोई आराजीयात क्रय नहीं की गयी एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की रूह के अनुसार क्रेतागण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाकर क्रेतागण ही यथावत काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को आज दिनांक वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति प्रदान नहीं की गयी है जिसके अभाव में प्रस्तुत वाद पत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के साथ काबिज काश्त होना भी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया जिससे मौखिक कथनों के आधार पर वाद पत्र डिक्री नहीं किया जा सकता है एवं वादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी सिद्ध नहीं किया गया कि संयुक्त परिवार की आमदनी से वादग्रस्त आराजीयात क्रय की गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार भंवरिया वल्द भैरू एवं मोती वल्द भैरू को नाबालिग भी अंकित नहीं किया गया है अर्थात क्रेतागण तत्समय बालिग थे इसलिए वादी का वाद पत्र में यह अंकित करना कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 भी नाबालिग थे एवं वादी का भी उस समय जन्म हो चुका था कतई गलत अंकित किया गया है, क्योंकि उप पंजीयक के समक्ष पंजीकृत किये गए दस्तावेज से अधिक महत्व पहचान पत्र को नहीं दिया जा सकता। इतना ही

नहीं वादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सक्षम न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध नहीं करवाया गया कि बरवक्त पंजीकरण विक्रय पत्र क्रेतागण नाबालिग थे। वादी द्वारा वाद पत्र में छोटू पुत्र श्री भैरू के श्री चौथू के गोद जाना अंकित किया गया है जबकि वादी द्वारा पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही किसी साक्ष्य से ही छोटू पुत्र भैरू को चौथू के गोद जाना सिद्ध करवाया गया है जिसके अभाव में छोटू पुत्र भैरू को अन्यत्र गोद जाना नहीं माना जा सकता, वादी की ही तरह छोटू पुत्र भैरू भी श्री भैरू का पुत्र होकर वादी की तरह उक्त भूमि में तथाकथित रूप से हिस्से का अधिकारी है जिसे न तो अन्यत्र गोद जाना सिद्ध किया गया एवं ना ही पक्षकार मुर्तिब किया गया जिससे वाद पत्र पंजीकृत गोदनामे के अभाव में एवं छोटू को पक्षकार मुर्तिब नहीं करने के कारण आवश्यक पक्षकारों के, अभाव में प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त किये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का काबिज होना कतई सिद्ध नहीं था, चूंकि बिना कब्जे के उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा कतई पारित नहीं की जा सकती एवं बरवक्त मुर्तिब किए जाने कुर्रेजात रिपोर्ट बिना बेदखली के आज्ञप्ति के अपीलांट को अपनी निजी संपत्ति से जो उसे अपने मृतक पति से प्राप्त हुई है, से बिना बेदखली की आज्ञप्ति के बेदखल किए वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को कतई काबिज नहीं कराया जा सकता जिससे अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2012 जो विधिक रूप से प्रभाव शून्य हो चुकी है को निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के पति का स्वर्गवास हो चुका है एवं पति की विरासत से उक्त आराजीयात अपीलांट जो कि एक विधवा स्त्री है में निहित हो चुकी है एवं अपीलांट में निहित भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अपीलांट की निजी सम्पत्ति है, चूंकि तथाकथित वाद पत्र में अपीलांट पक्षकार मुर्तिब नहीं थी तथा आज दिनांक आज्ञप्ति की इजराय नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की निजी सम्पत्ति के किसी भी हिस्से से अपीलांट को वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलांट में अपने पति श्री भंवरिया की सम्पत्ति आज्ञप्ति जारी होने के बाद लेकिन इजराय से पूर्व निहित हो चुकी है जिससे आज्ञप्ति दिनांक 02.07.2012 अपीलांट पर लागू नहीं होती है एवं अपीलांट की हद तक उक्त आज्ञप्ति बरवक्त पारित किये जाने आज्ञप्ति भी शुन्य था एवं आज भी शुन्य प्रभावी होकर काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.07.2011 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2011 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 70, खसरा नम्बर 75, खसरा नम्बर 79, कुल किता 03 कुल रकबा 13.71 है0 वाकै ग्राम साली, तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 2/3 हिस्से में वादी को 1/3 हिस्से यानि संपूर्ण आराजीयात में वादी को 2/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा इसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स या यदि सहमति हो तो सहमति अनुसार तकासमा किया जाकर तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शा कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा नक्शे कुर्रेजात प्राप्त हुई। दिनांक 28.03.2012 को वकील पक्षकारान ने प्राप्त कुर्रेजात पर आपत्ति करते हुए यह जाहिर किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा में सभी की सहमति अनुसार बंटवारा करने हेतु निवेदन जाहिर कर रखा है, उसके बावजूद पटवारी ने बिना पक्षकारों की सहमति लिए कुर्रेजात प्रस्तुत कर दिए जो पक्षकारों को मान्य नहीं है, पुनः पक्षकारों के मौके पर सहमति अनुसार बंटवारे कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने के आदेश दिए गए। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा संशोधित कुर्रेजात तैयार होकर दिनांक 26.06.2012 को शामिल मिसल हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का

वाद मुताबिक नक्शे कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम साली, तहसील मौजमाबाद का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए दिनांक 02.07.2011 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा दिनांक 15.06.2011 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामे के आधार पर दिनांक 20.07.2011 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 70, खसरा नम्बर 75 व खसरा नम्बर 79 कुल किता 03 कुल रकबा 13.71 है0 वाकै ग्राम साली तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 2/3 हिस्से में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/3 हिस्से यानि संपूर्ण आराजीयात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को 2/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा दिनांक 08.02.2012 को नक्शे कुर्रेजात प्राप्त हुई, परंतु वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त कुर्रेजात पर आपत्ति जाहिर की गई। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रकरण में पुनः संशोधित कुर्रेजात तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 26.06.2012 को शामिल मिसल की गई। उभयपक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मुताबिक नक्शे कुर्रेजात के अनुसार वाद अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे, जिसमें पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार द्वारा तैयार नक्शा कुर्रेजात पक्षकारों की उपस्थिति में व उनके हस्ताक्षर लिए जाकर बनाई गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट बनाते समय राजस्व मण्डल के सरकारी नियम 18 से 21 की विधिवत पालना की गई है व उभयपक्षकारों की उपस्थिति व उनकी सहमति अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन व तहसीलदार द्वारा तैयार नक्शे कुर्रेजात का अवलोकन करते हुए वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम साली, तहसील मौजमाबाद के खसरा नम्बर 70, खसरा नम्बर 75 व खसरा नम्बर 79 कुल किता 03 कुल रकबा 13.71 है0 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक नक्शे कुर्रेजात के अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया। अपीलांट अपनी अपील के माध्यम से यह बताने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री में किस प्रकार से त्रुटि कारित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.07.2012 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर